

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-2433 /रामपुर/15575/2015, दिनांक, लखनऊ, मई 30, 2017

सेवा में

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : रामपुर-केमरी मार्ग (ओडीआर नं-20) किमी 3.135 की बायीं पटरी पर ग्राम-पहाड़ी के गोटा सं-140 में एस्सार ऑयल लि द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे० सरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पोतन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/34/2016/एफसी/58, दि० 28.04.16
शासन का पत्रांक-भा०स०-94/14-2-2016-800(49)/2016, दिनांक 06.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ०प्र०शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक-3421/14-1, दि० 24.05.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त पत्र एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक: प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा।

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।